



मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

(ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)

36, बीज भवन मदर टेरेसा-मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 0755- 2775045, 2775048 फ़ैक्स- 0755- 2775042

e.mail : hofaa36@gmail.com

क्रमांक-एचओ/एफएए/2015/11033
प्रति,

दिनांक 29-9-15

क्षेत्रीय प्रबंधक,

म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम,

भोपाल/इंदौर/उज्जैन/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/सतना

विषय-रबी वर्ष 2014-15 में उत्पादित तथा रबी वर्ष 15-16 में विक्रय किए जाने वाले आधार बीजों की विक्रय दर निर्धारण बाबत ।

रबी वर्ष 2014-15 में उत्पादित तथा रबी वर्ष 2015-16 में विक्रय किए जाने वाले आधार बीजों की विक्रय दर के लिए शासन द्वारा प्रमाणित बीज के लिए निर्धारित की गई दरों में सीरियल फसलों के बीजों के लिए रु.50 प्रति क्विंटल तथा दलहनी/तिलहनी फसलों के बीजों पर रु.100 प्रति क्विं. जोड़कर तालिका में दर्शाये विवरण अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए विक्रय दरें निर्धारित की जाती है:- (रूपये प्रति क्विंटल)

क्र.	फसल	आधार-1 एवं आधार-2 बीज की विक्रय दर रूपयों में
1	2	3
1.	गेहूँ ऊँची जाति (10 वर्ष तक)	3600 /-
2.	गेहूँ ऊँची जाति(10 वर्ष से अधिक)	3500 /-
3.	गेहूँ बोनी जाति (10 वर्ष तक)	3200 /-
4.	गेहूँ बोनी जाति (10 वर्ष से अधिक)	3150 /-
5.	चना (15 वर्ष तक)	6200 /-
6.	चना (15 वर्ष से अधिक)	6200 /-
7.	चना काबुली (15 वर्ष तक)	6650 /-
8.	चना काबुली (15 वर्ष से अधिक)	6650 /-
9.	मटर(अर्किल को छोड़कर) 15 वर्ष तक	4750 /-
10.	मटर(अर्किल को छोड़कर) 15 वर्ष से अधिक	4250 /-
11.	मटर अर्किल	4800 /-
12.	मसूर (15 वर्ष तक)	7750 /-
13.	मसूर (15 वर्ष से अधिक)	7750 /-
14.	तोरिया	4900 /-
15.	सरसों (10 वर्ष तक)	5600 /-
16.	सरसों (10 वर्ष से अधिक)	6100 /-
17.	अलसी (10 वर्ष तक)	5500 /-
18.	अलसी (10 वर्ष से अधिक)	6000 /-
19.	जौ बालें (10 वर्ष तक)	2650 /-
20.	मूँग (ग्रीष्मकालीन) समस्त किरमें	10600 /-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
23/9/15



मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
(ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)

36, बीज भवन मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष- 0755- 2775045, 2775048 फ़ैक्स- 0755- 2775042
e.mail : hofaa36@gmail.com

निर्देश :-

1. क्षेत्रीय प्रबंधक एवं प्रक्रिया प्रभारी बीज उत्पादक कृषकों का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हीं बीज उत्पादक कृषकों को आधार बीज प्रदाय किया जाये जिनके द्वारा बीज निगम को उत्पादन कार्यक्रम से प्राप्त बीज वापस लौटाया जाता है तथा नवीन बीज उत्पादक कृषकों की स्थिति में भी चना आधार बीज देने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र भी प्राप्त करें कि इस आधार चना बीज से प्राप्त होने वाले बीज को निगम को वापस लौटाया जायेगा।

कमॉक-एचओ/एफएए/2015/ 4034
प्रतिलिपि :-

1. कक्ष प्रमुख (समस्त), निगम मुख्यालय भोपाल ।

प्रबंध संचालक
दिनांक 24.9.15

प्रबंध संचालक